न्यायालय : चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, जबलपुर, जिला–जबलपुर,म0प्र0
(समक्ष– आनंद बागरी)

रजिस्ट्रेशन नंबर व्यव0 वाद क्रमांक–656ए/2022
फाईलिंग नंबर व्यव0 वाद क्रमांक– 4866ए/2022
सी.एन.आर.नंबर–एम.पी.2001–018561–2022
फायलिंग दिनांक–07.06.2022
संस्थित दिनॉक–07.06.2022

1. सतीश शर्मा, उम्र लगभग 48 वर्ष, आत्मज स्व. परमसिंह शर्मा,
2. मनीष शर्मा, उम्र लगभग 35 वर्ष, आत्मज स्व. परमसिंह शर्मा,

दोनों निवासी–ग्राम एवं पोस्ट सूखा, पाटन रोड़, जबलपुर, म.प्र.। **.....वादीगण**

//विरूद्ध//

1. रतन सिंह शर्मा, उम्र लगभग 75 वर्ष, आत्मज स्व. डेलन सिंह शर्मा,
2. शैलेष शर्मा, उम्र लगभग 45 वर्ष, आत्मज श्री रतन सिंह शर्मा,

दोनों निवासी–एन.आर.–2 परिसर, III आई.टी., डी.एम., डुमना, जबलपुर, म.प्र.।

3. मध्यप्रदेश शासन, द्वारा कलेक्टर, जबलपुर, म.प्र.। **.....प्रतिवादीगण**

05-12-2022

वादीगण द्वारा अधिवक्ता सुश्री सी.व्ही.राव उपस्थित।

प्रतिवादी क्र. 1 व 2 द्वारा अधिवक्ता श्रीमती आशारानी उपस्थित।

प्रतिवादी क्र. 3 एकपक्षीय।

आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य.प्र.सं. पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 व्य.प्र.सं. (आई.ए.नं.1/22) पर आदेश पृथक से टंकित कराया जाकर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में पारित किया गया। वादीगण का उक्त आवेदन स्वीकार किया गया।

प्रकरण जवाबदावा हेतु दिनांक 20.12.2022 को पेश हो।

ANAND BAGRI
Digitally signed by ANAND BAGRI
Date: 2022.12.05 16:37:45 +0530

(आनंद बागरी)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड
जबलपुर (म.प्र.)

<u>पुनश्चः</u>

पक्षकार पूर्ववत्।

उभयपक्ष की ओर से एक आवेदन अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 सहपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया।

वादीगण एवं प्रतिवादी क्र.1 व 2 की पहचान अधिवक्ता श्री गौरव केशरवानी द्वारा की गई।

प्रतिवादी क्र03 औपचारिक पक्षकार हैं।

पक्षकारों के राजीनामा के संबंध में कथन अंकित किये गये।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से दर्शित है कि वादी द्व ारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह दावा वादग्रस्त भूमि मौजा सूखा पटवारी हल्का नंबर सूखा, तहसील पनागर, जिला जबलपुर में स्थित खसरा नंबर 19 रकवा 0. 30 हेक्ट., खसरा नंबर 20/1 रकवा 0.240 हेक्ट. एवं खसरा नंबर 20/2 रकवा 0.020 हेक्ट. के संबंध में स्वत्व घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है।

पक्षकारों द्वारा बिना किसी भय, दबाव अथवा लालच के समझौता करना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी क्र0 3 मध्य प्रदेश शासन प्रकरण में औपचारिक पक्षकार है। समझौता सक्षम पक्षकारों द्वारा स्वतंत्र सम्मति से विधिपूर्ण प्रतिफल हेतु विधिपूर्ण उद्देश्य से किया गया है। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 23 नियम 3 व्य.प्र.सं. स्वीकार किया जाता है।

अतः राजीनामा आवेदन स्वीकार कर निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है–

1— प्रतिवादी क्र.1 व 2 के स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 20/2 में निर्मित मंदिर एवं खुली भूमि जिसका रकवा 33 फुट बाई 67 फुट अर्थात 2211 वर्गफुट के उपयोग, उपभोग में वादीगण कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।

2— प्रतिवादी क्र.1 खसरा नंबर 20/1 एवं खसरा क्रमांक—24 से लगी भूमि खसरा नंबर 19 में से 2211 वर्गफुट भूमि जिसे नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित किया गया है, का विक्रय पत्र वादीगण के पक्ष में 02 माह के अंदर निष्पादित करेगा।

3— प्रतिवादी क्र.1 व 2 खसरा नंबर 20/2 में स्थित पैतृक मंदिर में वादीगण एवं उनके वारिसों के आने—जाने एवं पूजा पाठ करने में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।

4— पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन डिक्री का भाग होगा।

5— उभयपक्ष अपना—अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

6— अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या विधि अनुसार जो कम हो, देय हो।

तदानुसार डिक्री तैयार किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

ANAND BAGRI
Digitally signed by ANAND BAGRI
Date: 2022.12.05 16:37:58 +0530

(आनंद बागरी)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ
खंडजबलपुर (म.प्र.)

<u>पुनश्चः</u>

पक्षकार पूर्ववत्।

राजीनामा अनुसार डिक्री तैयार कर उसकी सूचना, सूचना पटल पर चस्पा की जावे, आपत्ति आमंत्रित की जावे।

प्रकरण डिक्री पर आपत्ति/हस्ताक्षर हेतु दिनांक—08.12.2022 को पेश हो।

ANAND BAGRI
Digitally signed by ANAND BAGRI
Date: 2022.12.05 16:38:03 +0530

(आनंद बागरी)
चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ
खंडजबलपुर (म.प्र.)